# बिहार सरकार
# सहकारिता विभाग

## ।। संकल्प ।।

चूँकि बिहार राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि डा॰ श्रवण कुमार, तत्कालीन संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ–सह–जिला सहकारिता पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर सम्प्रति निलंबित को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना के धावादल द्वारा दिनांक– 21.10.2016 को परिवादी श्री शक्ति सुमन से 50,000/– (पचास हजार रूपये) रिश्वत लेते हुये रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया था, एवं उनके विरूद्ध निगरानी थाना कांड सं॰–109/2016, दिनांक–21.10.2016, धारा–7/13(2)–सह–पठित धारा–13(1)(डी॰)भ्र॰नि॰ अधिनियम 1988 दर्ज किया गया है साथ ही प्रत्यानुपातिक धर्नाजन के मामले में निगरानी थाना कांड संख्या 124/2016 दिनांक–18.11.2016 धारा 13(2)–सह–पठित धारा 13(1)(ई॰)भ्र॰नि॰ अधिनियम 1988 दर्ज है । यह आचरण बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम–3 (1) (i), (ii), (iii) एवं उक्त नियमावली के नियम–17 (5)(1) एवं 17(6) के प्रतिकूल है।

अतएव यह निर्णय लिया गया है कि डा॰ श्रवण कुमार, तत्कालीन संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ–सह–जिला सहकारिता पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर (सम्प्रति निलंबित) के विरूद्ध गठित आरोप पत्र (प्रपत्र 'क') में विनिर्दिष्ट आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम 17 के अन्तर्गत विहित रीति से विभागीय कार्यवाही संचालित की जाय।

2. उक्त विभागीय कार्यवाही में विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी एवं श्री मुकुल कुमार सिन्हा, संयुक्त निबंधक (पणन), सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है।

3. डा॰ कुमार से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में लिखित बयान विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना–सह–संचालन पदाधिकारी के समक्ष इस संकल्प के प्राप्ति के पन्द्रह दिनों के अन्दर प्रस्तुत करें।

**आदेश** : – आदेश दिया जाता है कि संकल्प एवं आरोप पत्र (प्रपत्र 'क') की एक–एक प्रति (साक्ष्य सहित) विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना –सह– संचालन पदाधिकारी/श्री मुकुल कुमार सिन्हा, संयुक्त निबंधक (पणन), सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना –सह–प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी एवं डा॰ श्रवण कुमार, तत्कालीन संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ–सह–जिला सहकारिता पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर सम्प्रति निलंबित मुख्यालय–संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, पटना प्रमंडल पटना का कार्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह॰/–
(राजेन्द्र राम)
सरकार के उप सचिव (निगरानी)।

ज्ञापांक :..... / पटना, दिनांक :.....
08 / नि०को०(रा०)विभागीय–708 / 2016

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक की प्रति के साथ विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना –सह– संचालन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक–यथोक्त।

ह०/–
सरकार के उप सचिव (निगरानी)।

ज्ञापांक :..... / पटना, दिनांक :.....
08 / नि०को०(रा०)विभागीय–708 / 2016

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक की प्रति के साथ श्री मुकुल कुमार सिन्हा, संयुक्त निबंधक (पणन), सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना–सह–प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक–यथोक्त।

ह०/–
सरकार के उप सचिव (निगरानी)।

ज्ञापांक :..... / पटना, दिनांक :.....
08 / नि०को०(रा०)विभागीय–708 / 2016

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक की प्रति के साथ डा० श्रवण कुमार, तत्कालीन संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ–सह–जिला सहकारिता पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर (सम्प्रति निलंबित) मुख्यालय–संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, पटना प्रमंडल पटना का कार्यालय / 2–संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, पटना प्रमंडल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि आरोपित पदाधिकारी को पत्र का तामिला कराकर तामिला प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक–यथोक्त।

ह०/–
सरकार के उप सचिव (निगरानी)।

ज्ञापांक :..... / पटना, दिनांक :.....
08 / नि०को०(रा०)विभागीय–708 / 2016

प्रतिलिपि :– पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना को उनके पत्रांक–2537 / अप०शा० दिनांक– 31.10.2016 एवं 2696 दिनांक–25.11.16 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक–यथोक्त।

ह०/–
सरकार के उप सचिव (निगरानी)।

ज्ञापांक :1905 / पटना, दिनांक :12.06.2017
08 / नि०को०(रा०)विभागीय–708 / 2016

प्रतिलिपि :– उप सचिव–सह–लोक सूचना पदाधिकारी, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना / आई०टी० मैनेजर, प्रभारी कम्प्यूटर कोषांग, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि इस संकल्प को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक–यथोक्त।

8-6-17

08.6.17
सरकार के उप सचिव (निगरानी)।

# जाँच–पत्र

| | | |
|---|---|---|
| 1. | क्या आरोप–पत्र बिहार सरकारी सेवकों के विरूद्ध आरोप–पत्र का गठन विनियमावली, 2011 के अनुसार और उसमें विहित किये गये प्रपत्र में एवं सही ढ़ंग से तैयार किया गया है तथा प्रत्येक आरोप सुस्पष्ट है ? | – हाँ |
| 2. | क्या बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17(4) की अपेक्षाओं के अनुसार आरोपित पदाधिकारी/कर्मचारी को आरोप–पत्र की एक प्रति, लांछनों के अभिकथन तथा दस्तावेजों एवं साक्षियों की सूची आदि उपलब्ध करा दी गयी है ? | – हाँ |
| 3. | क्या उक्त नियमावली के नियम–17(4) के अनुसार बचाव का लिखित अभिकथन प्राप्त कर लिया गया है ? | – नहीं |
| 4. | क्या बचाव के लिखित अभिकथन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी है और समीक्षोपरान्त निष्कर्ष निकाला गया है ? | – उपरोक्त के अनुसार। |
| 5. | क्या उक्त नियमावली के नियम 17(6) के अनुसार वांछित कागजात मूल रूप में संलग्न किये गये हैं ? | – हाँ |
| 6. | क्या विभागीय कार्यवाही चलाने एवं संचालन पदाधिकारी की नियुक्ति संबंधी प्रासंगिक नियम का संदर्भ आदेश/अधिसूचना/संकल्प में किया गया है ? | – हाँ |
| 7. | क्या आदेश/अधिसूचना/संकल्प पर हस्ताक्षरकर्त्ता पदाधिकारी ने हस्ताक्षर के पूर्व उपर्युक्त अपेक्षाओं की जाँच करा ली है और वे संतुष्ट हैं ? | – हाँ |

GP
8-6-17

8.6.17
(राजेन्द्र राम)
सरकार के उप सचिव (निगरानी)।

## आरोप–पत्र

### प्रपत्र–''क'

1. पदाधिकारी का नाम : श्री श्रवण कुमार
2. पदनाम : तत्कालीन संयुक्त निबंधक–सह–जिला सहकारिता पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर सम्प्रति (निलंबित)
3. वेतनमान्/ग्रेड पे : 15600–39100 + ग्रेड पे– 6600/–
4. समूह : ''क''
5. जन्म तिथि : 01.01.1960
6. सेवानिवृत्ति की तिथि : 31.12.2019
7. आरोप :

| क्र॰ सं॰ | आरोप का संक्षिप्त विवरण | आरोप का विवरण | साक्ष्य |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1॰ | नियम विरूद्ध कार्य करना | परिवादी श्री शक्ति सुमन उर्फ मुन्ना यादव, पिता– श्री बलराम राय, ग्राम–रक्का, थाना–करजा, जिला–मुजफ्फरपुर वर्त्तमान अध्यक्ष रक्का पैक्स द्वारा राईस मिल–सह–गैसीफायर का प्लांट लगाने हेतु जिला सहकारिता पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर (श्री श्रवण कुमार) को आवेदन दिया गया था । जिसकी स्वीकृति के पश्चात् जिला सहकारिता पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर (श्री कुमार) द्वारा परिवादी (श्री सुमन) को कार्य करने का आदेश दिया गया था । जिसके आलोक में परिवादी (श्री सुमन) द्वारा पैक्स में राईस मिल–सह–गैसीफायर प्लांट लगाने का निर्माण कार्य शुरू किया गया । प्रथम चरण में परिवादी (श्री सुमन) द्वारा कुल–3,22,000 रू॰ का निर्माण कार्य किया गया । परिवादी (श्री सुमन) द्वारा किये गये कार्य को मापी पुस्तिका में कनीय अभियंता के द्वारा दर्ज किया गया । जिसके आलोक में उक्त राशि का भुगतान परिवादी (श्री सुमन) को किया गया । उक्त राशि भुगतान के बाद पुनः निर्माण कार्य में (श्री सुमन) द्वारा 3,57,999 रू॰ का कार्य किया गया । परिवादी (श्री सुमन) द्वारा किये गये कार्य को मापी पुस्तिका में कनीय अभियंता के द्वारा दर्ज किया गया । उक्त राशि के भुगतान के लिए परिवादी (श्री सुमन) द्वारा दिनांक 04॰10॰16 को किये गये निर्माण कार्य से संबंधित सभी कागजात जिला सहकारिता पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर (श्री श्रवण कुमार) को जमा करते हुए उक्त राशि को भुगतान करने का अनुरोध किया गया । जिसपर जिला सहकारिता पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर (श्री कुमार) द्वारा उक्त राशि भुगतान हेतु परिवादी (श्री सुमन) से 50,000/– (पचास हजार) रूपये की माँग की गई । आपका यह आचरण बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम 17(5) (1) एवं 17(6) के प्रतिकूल है । | पुलिस अधीक्षक निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना के पत्रांक 2537/अप॰शा॰, दिनांक 31॰10॰2016 एवं पत्रांक 7195/अप॰शा॰, दिनांक 08॰11॰16 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2॰ | रिश्वत की माँग | परिवादी (श्री शक्ति सुमन उर्फ मुन्ना यादव) आपसे मिलकर बकाया 3,57,999/– रू॰ भुगतान हेतु कहा जिसपर जिला सहकारिता पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर (श्री कुमार) द्वारा 50,000/– (पचास हजार) रूपये रिश्वत की माँग की गई जो कि बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम 3(1) (i),(ii),(iii) के प्रतिकूल है, जिसके लिए आप दोषी हैं । | तथैव |
| 3॰ | सरकारी कार्य में लापरवाही बरतना एवं कर्त्तव्य निर्वहन में कमी | परिवादी (श्री शक्ति सुमन उर्फ मुन्ना यादव) के आवेदन के आलोक में आपको उनके आवेदन को जाँचोपरान्त सत्यापन आदि कर नियमानुसार कार्रवाई करना चाहिए था, जबकि आपके द्वारा नियमानुसार कार्रवाई न कर उनसे रिश्वत की माँग की गई । आपका यह कृत्य कर्त्तव्यहीनता को दर्शाता है । | तथैव |
| 4॰ | निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना द्वारा दिनांक 21॰10॰2016 को रू॰ 50,000/– (पचास हजार) रूपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा जाना । | आपके द्वारा संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ–सह–जिला सहकारिता पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के कार्यकाल में रक्का पैक्स में राईस मिल–सह–गैसीफायर का प्लांट लगाने हेतु परिवादी श्री शक्ति सुमन उर्फ मुन्ना यादव, पिता–श्री बलराम राय, ग्राम–रक्का, थाना–करजा, जिला–मुजफ्फरपुर वर्त्तमान अध्यक्ष रक्का पैक्स द्वारा किये गये कार्य 3,57,999/– रू॰ का भुगतान करने के एवज में 50,000/– (पचास हजार) रूपये रिश्वत की माँग किये जाने पर परिवादी द्वारा उसकी लिखित शिकायत निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना से की गई ।<br>निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना के गठित धावा दल द्वारा परिवादी से 50,000/– (पचास हजार) रूपये रिश्वत लेते हुए आपको (श्री कुमार) रंगे हाथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया तथा आपके विरूद्ध निगरानी थाना कांड सं॰–109/2016, दिनांक 21॰10॰2016, धारा–7/13(2)–सह–पठित धारा–13(1)(डी) भ्र॰नि॰ अधि॰–1988 दर्ज किया गया । आपका यह कृत्य बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम 3(1) (i),(ii),(iii) के प्रतिकूल है, जिसके लिए आप दोषी हैं । | तथैव |
| 5॰ | आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करना | पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना के पत्रांक 2696, दिनांक 25॰11॰16 द्वारा सूचित किया गया है कि डा॰ कुमार की नियुक्ति सहायक निबंधक के पद पर सहकारिता विभाग में दिनांक 25॰08॰89 को हुई थी । वर्त्तमान में जिला सहकारिता पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के पद पर कार्यरत थे । इसके पूर्व ये अन्य जगहों पर विभिन्न पदों पर पदस्थापित रहे हैं । प्रारंभिक जाँच में यह बात सामने आया कि परिवादी श्री शक्ति सुमन से 50,000/– रू॰ रिश्वत लेते हुये रंगे हाथ दिनांक 20.10.16 को मुजफ्फरपुर स्थित आवास से निगरानी ब्यूरो के टीम द्वारा गिरफ्तार किये गये थे । इसके उपरांत धावादल टीम द्वारा इनके मुजफ्फरपुर सरकारी आवास | पुलिस अधीक्षक निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना के पत्रांक 2696 दिनांक 25॰11॰16 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | तथा ब्यूरो द्वारा गठित 02 अन्य टीमों द्वारा इनकी पत्नी श्रीमती इला इसर, जेल अधीक्षक, सीतामढ़ी के आवास तथा इनका पटना स्थित देवेन्द्र रेसिडेन्सी कंकड़बाग के फ्लैट की तलाशी ली गई । आवासों की तलाशी से जब्ती सह इन्भेन्ट्री सूची बनायी गयी । इन्भेन्ट्री सूची में वर्णित अभिलेखों एवं जब्त नगद राशि के आधार पर इनके सरकारी सेवा में योगदान की तिथि 25.08.1989 से अब तक की सेवा अवधि के दौरान सरकारी पद पर कार्य करते हुए अपने पद का भ्रष्ट दुरूपयोग कर अपने ज्ञात वैध स्त्रोतों से होने वाली आय से अधिक, चल एव अचल संपति अर्जित करने के संबंध में जाँच किया गया । प्रारंभिक जाँच में यह तथ्य सामने आया कि डा॰ कुमार द्वारा अपने एवं अपने प्ररिवार के सदस्यों तथा अन्य रिश्तेदारों के नाम पटना, रांची तथा उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण स्थानों पर लाखों रूपये के कई भू–खण्ड/फ्लैट क्रय किये है । ये अपने एवं अपने परिवार के सदस्यों के नाम विभिन्न बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थानों में लाखों रूपया जमा/निवेश किये हैं ।<br><br>डा॰ कुमार के सरकारी सेवा में आने की तिथि 25.08.1989 से अबतक की अवधि को चेक अवधि मानकर इनके ज्ञात वैध श्रोत से होने वाली आय एवं अर्जित सम्पत्ति/व्यय की गणना की गयी । जिसका अनुमानित आय लगभग–2,25,41,000/– रू॰, अनुमानित व्यय लगभग–58,66,666/– रू॰ एवं संभावित बचत (2,25,41,000–58,66,666) = 1,66,74,334/–रू॰ है । डा॰ कुमार द्वारा उपरोक्त चेक अवधि में अर्जित की गई कुल अचल सम्पत्ति 1,44,90,364/– एवं चल सम्पति– 1,17,93,400/– कुल–(1,44,90,364+1,17,93,400)=2,62,83,764/–रू॰ होता है । इस प्रकार उक्त चेक अवधि में वैध श्रोत से अर्जित किये गये आय से अधिक सम्पत्ति लगभग (2,62,83,764–1,66,74,334) = 96,09,430/–रू॰ होता है । इस प्रकार डा॰ कुमार के द्वारा उक्त अवधि के दौरान अपने पद का भ्रष्ट दुरूपयोग करते हुए अपने ज्ञात वैध श्रोत से अधिक सम्पत्ति अर्जित किये गये हैं । जिसके कारण डा॰ कुमार के विरूद्ध निगरानी थाना काण्ड सं॰–124/2016, दिनांक 18॰11॰2016, धारा 13(2) सह–पठित धारा–13(1)(ई) भ्र॰नि॰अधि॰ 1988 दर्ज कर प्राथमिकी अभियुक्त बनाया गया है ।<br><br>आपका यह आचरण सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम 3(1) (i),(ii),(iii) के प्रतिकूल है, जिसके लिए आप दोषी हैं । | |

8-6-17

08.6.17

(राजेन्द्र राम),
सरकार के उप सचिव (निगरानी)
सहकारिता विभाग, बिहार, पटना